

-:: आदेश ::-

समूह 'क' के नियमितकृत अधिकारियों को उनके काम के सम्बन्ध अधिक संख्या में लम्बकाल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैयार किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्यिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैयारी का स्थान	संख्या जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है :	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	सुधी	राजकीय पालीटेक्निक, सुताखली, अमरोहा	एम०एम०आई०टी०, शामली	स्वयं के अनुरोध पर
2.	बीमती वैशाली, प्रवक्ता रसायन	राजकीय पालीटेक्निक, दूधरता विनोदगढ	राजकीय वर्म संस्थान, अमरा	स्वयं के अनुरोध पर
3.	बीमती सीमा देवी, प्रवक्ता रसायन	राजकीय पालीटेक्निक, शिकन्दारगढ, एटा	राजकीय पालीटेक्निक, विनोदगढ	स्वयं के अनुरोध पर
4.	डा० नीरज मधु, प्रवक्ता रसायन	महात्मा पालीटेक्निक आषा इंटरनेशनल टेकनालजी, अमरोहा	एम०एम०आई०टी०, अलीगढ	स्वयं के अनुरोध पर
5.	संजय कुमार, प्रवक्ता रसायन	राजकीय पालीटेक्निक, कोठगढ, मधुगढ	राजकीय पालीटेक्निक, जागराढ, मजफ्फरगढ	स्वयं के अनुरोध पर
6.	सुधी शाबान लखीर, प्रवक्ता रसायन	राजकीय पालीटेक्निक, आदमपुर, मोरघा	एम०एम०आई०टी०, संतकबीरगढ	स्वयं के अनुरोध पर

अपरोक्ष में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किली प्रकार का कोई काम भला आदि देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रशासकों को निर्दिष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये अपरोक्ष संदर्भित कार्मिकों को प्रतिस्पर्धी की प्रतीक्षा किये बंदी कार्यभार करने, उन्हें लम्बे तैयारी स्थान पर लम्बकाल कार्यभार सहन करने के निर्देश हैं।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैयारी के स्थान पर कार्यभार सहन न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अपरोक्ष अनुशासनहीनता की परिधि में आया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अस्वीकारित न किया जाये और यदि अपरोक्ष कार्मिक इस आदेशों को विरुद्ध बकाय करने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कार्यवाही आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये मिलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कार्मिकों को वेतन का मुनसबन नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

अपरोक्ष स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक-29.03.2018, पत्रांक-4/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक-03.04.2018 एवं शासन के पत्रांक-569/सीलक-2-2018-7(ई)/2018, दिनांक-05.04.2018 में विहित प्रक्रिया/प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

(अरुणो जी राजपूत)
निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, 30501